

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं० :- 03/2014

(75 एल.आर.एक्ट)

उनवान

1. शिशुपाल पुत्र छोटेलाल जाति मीणा निवासी प्रतापगढ़, तहसील थानागाजी जिला
अलवर राज० ।

..... अपीलांत

बनाम

1. तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज० ।

..... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल अभिभाषक अपीलांत ।
2. श्री गणपतसिंह नरुका राजकीय अभिभाषक रेस्पोंड ।

∴ निर्णय ∴

दिनांक :- 14.06.2018

यह अपील विद्वान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दि० 27.12.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 30.10.2012 जिसके द्वारा अपीलांत को ग्राम प्रतापगढ़ तहसील थानागाजी के आराजी ख० नं० 551 रकबा 0.04 है० एवं 530 रकबा 0.04 है० गै० मु० रास्ता से बेदखल करने व 8 रुपये शास्ती से दण्डित करने के आदेश दिये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि० 27.12.2013 को अपीलांत की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दि० 27.12.2013 से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने बहस की शुरुआत करते हुए तहसीलदार एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए कथन किया कि सरकार ने अपीलांत को अतिक्रमी मानते हुए कहा कि अपीलांत ने विवादित आराजी ख० नं० 551 रकबा 0.04 है० एवं 530 रकबा 0.04 है० गै० मु० रास्ता पर अतिक्रमण कर रखा है

जबकि उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है । पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ अपीलांट के विरुद्ध आर.टी.एक्ट के तहत गलत रिपोर्ट पेश की है जिस पर तहत न्यायालय ने बिना जांच किये अपीलांट के खिलाफ नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया है जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपील में मुख्य बिन्दु यह रहा है कि अपीलांट की खातेदारी के ख० नं० 552 में होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने डामर रोड़ बनाने हेतु जमीन ली और तत्समय यह कहा था कि इसके बदले ख० नं० 530 अपीलांट के कब्जे में रहेगा । अतः रास्ता सीधा करने के लिए अपीलांट की खातेदारी के ख० नं० 552 में से रास्ता निकाला था । यदि मेरी जमीन ख० नं० 552 में से रास्ता निकाला था । यदि मेरी आराजी ख० नं० 552 की पैमाईश करा दी जावे तो मैं उसी अनुसार काबिज हो जाऊंगा तथा ख० नं० 530 गै० मु० रास्ते से यदि मेरा कोई अतिक्रमण है तो उसे हटा लिया जायेगा । बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपीलांट ने तहत अदालत में भी इसी बिन्दु को उठाया था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 132 एवं आर.आर.डी. 1990 पेज 351 पेश की ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो० ने जवाब में कथन किया कि अपीलांट द्वारा गै० मु० रास्ते की आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णय में सभी तथ्यों का वर्णन किया है । तहसीलदार ने सही निर्णय सुनाया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी सही निर्णय सुनाया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी के निर्णय दि० 30.10.2012 व प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि० 27.12.2013 का अवलोकन किया गया । साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।


उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपील के तथ्यों का अवलोकन किया । अपीलांट ने अपील में मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि अपीलांट की खातेदारी के ख० नं० 552 में होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने डामर रोड़ बनाने हेतु अपीलांट से जमीन ली और तत्समय यह कहा था कि इसके बदले ख० नं० 530 अपीलांट के कब्जे में रहेगा । अतः रास्ता सीधा करने के लिए अपीलांट की खातेदारी के ख० नं० 552 में से रास्ता निकाला था । यदि अपीलांट की ख० नं० 552 की पैमाईश कर दी जावे तो उसी अनुसार अपीलांट काबिज हो जायेगा तथा ख० नं० 530 गै० मु० रास्ते से यदि अपीलांट का कोई अतिक्रमण है तो उसे भी अपीलांट हटाने का तैयार है ।

तहत अदालत में भी अपीलांट ने इसी बिन्दु को उठाया था । इसलिए प्रकरण में अपीलांट की खातेदारी के आराजी ख० नं० 552 की पैमाईश की जाकर अपीलांट को कब्जा दिया जावे । यदि अपीलांट की खातेदारी में होकर रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग निकाल रहा है तो अपीलांट के विरुद्ध पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगा । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते हैं और अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

बउनवान शिशुपाल बनाम सरकार
अपील सं० 3/2014

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर का निर्णय दि० 27.12.2013 व तहसीलदार थानागाजी के निर्णय दि० 30.10.2012 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की खातेदारी की आराजी ख० नं० 552 की भी पैमाईश करें । यदि अपीलांट की खातेदारी में होकर कोई रास्ता पाया जाता है तो इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(कमल राम मीना)

राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर